



भारत सरकार/Government of India

गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड

Directorate of Census Operations, Uttarakhand

274, फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून - 248006

फोन नं०/फैक्स नं० 0135-2760088, 2760085

Email: dir-uk.rgi@censusindia.gov.in



पत्रांक -11013/ 54-11/ 2013-14/ जीएस- 1892

दिनांक 09 सितम्बर 2015

निविदा आमंत्रण

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड जो वर्तमान में 274 फेज-1 वसन्त विहार, देहरादून में स्थित है, को नये कार्यालय भवन एल0डी0.टॉवर नं० 3, सहारनपुर रोड देहरादून में शिफ्ट किया जाना है। इस संबंध में निदेशालय के वर्तमान भवन से समस्त मैटिरियल/फर्नीचर/मशीनरी/रिकॉर्ड आदि को एल0डी0.टॉवर नं० 3, सहारनपुर रोड, देहरादून में माह अक्टूबर 2015 में ले जाना है। अतः ट्रक मालिकों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निविदा पत्र जारी होने से एक सप्ताह के भीतर मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है :-

सामान्य शर्तें:-

1. ट्रक का साईज 17 फुट का होना चाहिए। कार्यालय का सामान इस कार्यालय के भूतल व प्रथम तल दोनों मंजिलों से उठाकर नये भवन एल0डी0.टॉवर नं० 3 सहारनपुर रोड देहरादून की तीनों मंजिलों पर यथास्थान रखना है जिसके लिये लेबर तथा कार्यालय अभिलेखों को सुरक्षित लेकर जाने के लिये खाली बोरियों आदि का प्रबन्ध भी ट्रक मालिक द्वारा ही किया जायेगा। ट्रक मालिक को प्रति फेरे आने का व्यय निविदा में दर्शाना होगा।
2. कार्यालय में डाटा सेन्टर तथा अन्य अनुभागों से कम्प्यूटर आदि को उठाने के लिए एक पिक-अप वैन का प्रबन्ध ट्रक मालिक को करना होगा जिसका व्यय भी ट्रक मालिक द्वारा अलग से निविदा में दर्शाना होगा।
3. कार्यालय से विद्युत जेनरेटर एवं स्टेबलाईजर को उठाने तथा नये कार्यालय भवन एल0डी0.टॉवर नं० 3 सहारनपुर रोड, देहरादून में रखने हेतु क्रेन का प्रबन्ध भी ट्रक मालिक को करना होगा जिसका व्यय भी ट्रक मालिक द्वारा निविदा में अलग से दर्शाना होगा।
4. निविदा दिनांक 17-09-2015 को सांय 3 बजे तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. मुहरबंद निविदा वाले लिफाफे के ऊपर साफ-साफ पठनीय बड़े अक्षरों में "कार्यालय के मैटिरियल/फर्नीचर/मशीनरी/रिकॉर्ड की दुलाई संबंधित निविदा" अंकित किया जाना चाहिए।
6. निविदाएं दिनांक 17-09-2015 को सांय 4 बजे निदेशालय में गठित कमेटी द्वारा खोली जायेंगी जिसमें निविदा दाता भी उपस्थित रह सकते हैं।
7. नगर में प्रवेश की अनुमति का स्वीकृति पत्र विभाग द्वारा ट्रक मालिक को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. निविदा दाता कार्यालय में आकर अधोहस्ताक्षरी की अनुमति उपरांत प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक प्रश्नगत दुलाई के सामान को देख सकता है।
9. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड के नियंत्रण अधिकारी के पास सुरक्षित है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र पाल)
(सुरेन्द्र पाल)
सहायक निदेशक(प्रशासन)